116

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग

कमांक : प.6(23)प्र.सु/अनु–3/99 जयपुर, दिनांक 28.7.2008

आज्ञा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किये गये राजसेवको के मामलो का पुनरावलोकन करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 8.6.99 के अतिक्रमण में महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:–

1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर — सदस्य
3. संबधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव — सदस्य
4. शासन सचिव, कार्मिक — सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक के निलम्बन के मामलो का पुनरावलोकन करेगी।

राज्य सेवा के अधिकारियों के प्रकरण जिन्हे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक मामलो में निलम्बित किये तीन वर्ष से अधिक का समय होगया है समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन किया जावेगा। तीन वर्ष की अवधि की गणना सक्षम न्यायालय में चालान पेश किये जाने की तिथि से की जायेगी।

समिति की बैठक 6 माह मे एक बार अवश्य होगी तथा समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरण के सबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक(क–3/शिकायत)विभाग होगा।

आज्ञा से

28/7/08

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/मा0 मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/प्रमुख शासनसचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।।

1427

3. समस्तसदस्य(समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग को आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित सदस्यो को भिजवाने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।

अनुभागाधिकारी